विचार बिन्दु

लोहा गरम भले ही हो जाए पर हथौड़ा तो ठंडा रह कर ही काम कर सकता है। –सरदार पटेल

वोट देने का महत्व और उसका अधिकार

बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा का कार्य जिसे SIR (एसआईआर) द्वारा सम्बोधित किया जाता है, चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को लाभान्वित करने के हेतु मिली-भगत कर मतदाता सूची में गडबडी कर रहा है। मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उन्हें मृतक बताया जा रहा है आदि। इस कार्य को विपक्ष वोटों की चोरी कह रहा है और एक व्यक्ति एक वोट के नारे लगा रहा है और शालीनता की मर्यादा को लांघ कर उग्र आन्दोलन द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित कर रहा है। जबकि SIR (एसआईआर) मतदाता सूची की शुद्धता की ओर बढ़ाया गया कदम है। प्रश्न है लोकतंत्र में विपक्ष का यह आंदोलन जहां संसद को काम नहीं करने दिया जावे और वहां हंगामा हो सडकों पर हंगामा और अब यह आंदोलन संविधान बचाओ यात्रा में बदल गया है। 'चुनाव आयोग चोर है', जैसे शब्द शालीनता व सभ्यता की सीमा को तो लांघते ही हैं अपितु भडकाऊ होने से अराजकता और अशान्ति फैलाते हैं और देश की अखण्डता के लिये भी घातक है। राहुल इस आन्दोलन में प्रमुख प्रवक्ता हैं और तेजस्वी भी अपनी तेजस्वी बोली में कह रहे हैं 'भाजपा वोट चोरी नहीं, आयोग के साथ मिलकर डकैती करने लगी है।' विपक्ष का आरोप है कि भाजपा संविधान मिटाने की कोशिश में है और उनकी लडाई संविधान बचाने की है। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स में स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोटर नहीं है तो शिकायत करना चाहता है तो वह शपथ पत्र द्वारा ही ऐसा कर सकता है।

प्रश्न है वोटर कौन हो सकता है, वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है और अधिकार का उद्गम कहां है? संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो किसी विधि के अधीन अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के कारण अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का अधिकारी होगा। संविधान का संदेश स्पष्ट है कि मतदाता देश का नागरिक होना चाहिये और उसका नाम इसी आधार पर मतदाता सूची में होना चाहिये।

अनुच्छेद 327 इसे और भी अधिक स्पष्ट करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन ही निर्वाचक नामावली तैयार की जावेगी। अनुच्छेद 328 में और अधिक स्पष्टता दिखाई देती है जहां वह निर्देश देता है कि संसद ऐसे मामलों में जो कानून बनायेगा वह भी उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप ही होगा तथा ऐसा कानून जो अनुच्छेद 327 व 328 के तहत बनेगा उसकी वैधता को देश के न्यायालय में व चुनाव नामावली के विषय को चुनौती भी नहीं दी जावेगी। इन सब उपबन्धों को पढेंगे तो एक ही आवाज उठती सुनी जावेगी कि मतदाता सूची केवल नागरिकों के मतदान के हेतु बनाई जावेगा। किसी अवैध प्रवासी (Migrant) को नामावली में शामिल नहीं किया जावेगा।

मतावली शुद्धिकरण के काम में लगे अधिकारियों के समक्ष यह आपत्ति उठाई गई कि तथाकथित कुछ व्यक्तियों ने अपना नामत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के तथा अन्य अभिप्राय से अवैध राशनकार्ड तथा आधार कार्ड बनाये हैं। आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण का सबूत किसी भी न्यायालय ने नहीं माना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही आदेश में कहा है कि अन्य 11 डोक्यूमेन्ट्स के साथ मतदाता द्वारा पेश किये गये आधार कार्ड को भी इस हेतु देखा जावे, यह नहीं कहा कि नागरिकता के सबूत के रूप में इसे मान्यता दी जावे।

बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के प्रश्न पर जब भी विचार करेंगे तो मूल महत्वपूर्ण विषय होगा यह तो देश नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट् जारी करने व निर्देश आदि देने की जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट जब करती है तब संविधान के भाग 3 में दिये गये मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो और उन्हें प्रवर्तित किया जाना आवश्यक हो यानी रिट् याचिका भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार है। किन्तु वोट देने का अधिकार तो भाग तीन में दिये गये मूल अधिकारों का नहीं है। यह अधिकार निश्चित रूप से संवैधानिक अधिकार है, भाग तीन का मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 स्वातंत्र का विषय है। अनुच्छेद 19(ई) का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का माना जावे तो यह अधिकार निश्चित रूप से नागरिकता का है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) स्वयं यह घोषणा करता है कि यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 की याचिका किसी भी नागरिक के अधिकारों को प्रवर्तित कराने की उपचार के रूप में पेश नहीं है।

एक व्यक्ति एक वोट व वोटों की चोरी के आरोपों ने देश का वातावरण बिगाड दिया है। कभी भी देश में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। विपक्ष से नम्र निवेदन है, ''हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है'' दूसरों पर अपशब्द बोलकर गम्भीर घाव नहीं करें। देश की एकता और अखण्डता रखना आपका संवैधानिक कर्त्तव्य है। सोचो, विचारो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश हम सबका है।

पाठक स्वंय विचार करें नागरिकता का विषय कितना महत्वपूर्ण है।

यदि यह विषय मूल अधिकारों के संरक्षण का है तो याचिकाकर्ता के स्वंय के मूल अधिकारों के हनन का नहीं है। सभी याचिकायें पीआईएल के रूप में दर्ज रजिस्टर की गई है जिनमें विवादास्पद मुद्दों को उठाया गया है। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने अन्तरिक आदेश की अनुपालना में काटे गये मतदाताओं की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है। चूंकि अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है अत: याचिकाओं पर की गई आपत्तियों पर समीक्षा नहीं करना उचित प्रक्रिया है। हमें निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

लेख का विषय सीमित है। नागरिक का मतदान का अधिकार और अधिकार का महत्व। भारतीय संविधान के भाग तीन के अधिकांश मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त हैं। नागरिकों को ही वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। सभी संवैधानिक पदों का अधिकारी चाहे वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, चुनाव आयोग, सांसद, विधायक आदि कोई भी हो तो केवल नागरिक ही धारण कर सकता है। बिहार की मतदाता सूची में बाग्लादेश, म्यांमार के अवैध प्रवासी बिना अधिकार के देश के राज्यों में फैले हुये हैं और उन्होंने अवैध रूप से आधार कार्ड व राशनकार्ड प्राप्त किये हैं। मतदाता सूची के दूषित होने का प्रधान कारण यही है।

निर्वाचन सम्बन्धित विषयों पर चुनाव आयोग को अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण के सम्पूर्ण अधिकार हैं और प्रक्रिया के लिये संसद का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 है। व्यवस्था है कि चुनावों में होने वाली अनियमितता और अवैधता को चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जीतने वाले व्यक्ति के विरूद्ध चुनाव याचिका हाईकोर्ट के समक्ष अवधि मध्य पेश कर चुनौती दी जा सकती है; किन्तु महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार के चुनावों में किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा उम्मीदवार ने ऐसी याचिकायें पेश नहीं की हैं। इसका अभिप्राय है वे चुनाव के रिजल्ट से सन्तुष्ट है। अब जब बिहार में मतदाता सूची की शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है तो वहां के चुनावों में धांधली कर जीतने की बात विपक्ष कर रहा है, वे भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार जो जीते हैं चाहे सांसद बने अथवा विधायक, वे भी उसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव लडे हैं और जीते हैं। फिर कैसी चुनौती। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिनके नाम काटे गये हैं वे काटे जाने के विरोध में समक्ष अधिकारी के समक्ष आवेदन समयावधि में पेश करें। किसी ने अभी तक सम्भवतया प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5.8.2025 के अन्तिम आदेश की अनुपालना में उनके विवरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं, अभी भी वे लोग अपने अधिकार के लिये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान का अनुच्छेद 51क घोषित करता है भारत का नागरिक संवैधानिक संस्थाओं का आदर करेंगे। विपक्ष संविधान की पुस्तक लेकर आयोग पर मतों की चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। अब वे मुख्य चुनाव अधिकारी पर महाअभियोग चलाने की बात कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया वैसी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की की जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में इसकी सफलता दिखाई नहीं देती।

एक व्यक्ति एक वोट व वोटों की चोरी के आरोपों ने देश का वातावरण बिगाड दिया है। कभी भी देश में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। विपक्ष से नम्र निवेदन है, ''हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है'' दूसरों पर अपशब्द बोलकर गम्भीर घाव नहीं करें। देश की एकता और अखण्डता रखना आपका संवैधानिक कर्त्तव्य है। सोचो, विचारो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश हम सबका है। देश के नागरिक की गरिमा बनाये रखना संविधान के प्रियम्बल से सीखें।

संवैधानिक संस्था को चोर व डकैत कहना और सडकों पर नारों व पोस्टर्स से चोर प्रस्तुत करना प्रत्यक्ष मानहानि कारक हो सकता है, जो एक अपराध है। यों भी बिहार में SIR (एसआईआर) को चुनौती देने वाले कई तथाकथित मतदाता हैं जिन्होंने संभवत: चुनाव सम्बन्धित अपराध किये हैं, इन्हें यदि फौजदारी केस में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधानसभा अथवा संसद की सदस्या ने डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। कृपया संविधान के अनुच्छेद 102/अनुच्छेद 191 तथा अनुच्छेद 90/190 को पढ़े। ध्यान रहे, डिस्क्वालिफिकेशन (निरर्हता) की घोषणा मात्र से सदस्यता का पद स्वत: रिक्त हो जाता है। कृपया इस सम्बन्ध में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 10 जुलाई 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन अवश्य करें।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

सामाजिक सरोकार और परिवारों का मिलन

कहां से चले हम! और कहां पहुंच गए? अंत क्या होगा पता नहीं!

सुनील दत्त गोयल

जीवन में अपने से जुड़े लोगों से मिलते-जुलते समय हमारा दिखावा करना या अत्याधिक अपने आप के व्यवहार में सम्पन्नता दिखाना - यह सब कुछ समय के लिए आपको धनी व सुखी ईसान होने का संकेत तो दे सकता है, लेकिन समय के साथ वास्तविकता को हम छुपा नहीं सकते। हम अपने आप को दिखावा और ढोंग के माध्यम से मानसिक तनाव के रूप में परेशानी महसूस करने लग जाते हैं।

दिखावे व बराबरी की होड़ हमें आर्थिक रूप से कमजोर ही बनाती है क्योंकि बराबरी करने के लिए हमें अपनी हैसियत व कमाई से अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे हम कर्ज का बोझ अपने कंधों पर बेवजह उठाते हुए अपने जीवन को दुखी कर लेते हैं। जीवन में कभी भी औरों से अधिक धनवान दिखाने में सिवाय नुकसान के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर अपने को सुखी रखना है तो जो पास है उसमें संतोष व आनंद लेना चाहिए और यह भूल जाना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे।

क्योंकि अंत में व्यवस्था स्वयं की ही काम आती है। दिखावे से प्रभावित रिश्ते जीवन में कभी साथ नहीं देते। हमारे सांसारिक जीवन में मेल-जोल का अवसर शादी-विवाह, सम्मेलन, घर में कुआं पूजन, पुत्र उत्सव या पुत्री उत्सव जैसे कार्यक्रमों में हुआ करता था। उन्हीं अवसरों पर सारे रिश्तेदार-नातेदारों से मुलाकात होती थी। लेकिन आजकल वह परंपरा भी खत्म होती जा रही है। अब तो वहां भी चर्चा होती है कि कौन कितनी महंगी कार से आया है, कितने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, कौन-सा मोबाइल फोन हाथ में है, कौन-सी परफ्यूम लगाई है, बच्चे किस बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन देश में है या विदेश में, कितना पैकेज ले रहा है।

हम यह भूल गए कि पहले तीन-चार भाई या पांच भाई परिवारों में रहते थे और जब इकट्ठे होते थे तो भाई-बंधु और परिवार के सदस्य साथ आते थे। चाचा-मामा और रिश्तेदारों के बीच अपनापन झलकता था। मुलाकातें दिल से होती थीं, न कि अपनी कमाई का दिखावा करने के लिए।

आजकल की शादियों का बदलता स्वरूप : पहले शादियां मोहल्ले या धर्मशाला में होती थीं। मेहमान आसपास के घरों में ठहरते थे। सब साथ बैठकर पत्तल-दोने में भोजन करते थे। गद्दे-रजाई बिछा दिए जाते थे और साधारण व्यवस्था में भी अपनापन झलकता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। आजकल शादियां महंगे रिसॉर्ट्स और डेस्टिनेशन वेडिंग्स में होने लगी हैं। शादी से दो दिन पहले ही पूरा परिवार रिसॉर्ट में शिफ्ट हो जाता है और मेहमान सीधे वहीं पहुंचते हैं। जिसके पास चारपहिया वाहन है वही वहां तक पहुंच सकता है, दोपहिया वालों के लिए यह संभव नहीं।

अब निमंत्रण भी वर्गानुसार बंट गए हैं -किसी को केवल लेडीज़ संगीत में बुलाना, किसी को सिर्फ रिसेप्शन में, किसी को कॉकटेल पार्टी में और परिवार को सभी कार्यक्रमों में। इस निमंत्रण में अपनापन की भावना खत्म हो चुकी है। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवारों को आमंत्रित किया जाता है। कई बार देखा गया है कि जो लोग बारात में शामिल होने के लिए आते हैं उन्हें दूल्हा-दुल्हन का नाम या शकल मालूम ही नहीं होती और भविष्य में कभी दूल्हा-दुल्हन मिल जाए तो उन्हें पहचानते भी नहीं है।

शादियों का दिखावटीपन : -

महिला संगीत के लिए महंगे कोरियोग्राफर बुलाए जाते हैं। मेहंदी में सबको हरे कपड़े पहनने की अनिवार्यता होती है, हल्दी में पीले कुर्ते-पायजामे। जो न पहने, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है।

इवेंट मैनेजमेंट वालों ने शादी की परंपरा को एक प्रदर्शनी में बदल दिया है। दूल्हा-दुल्हन पर से ध्यान हटकर सजावट, डांसर्स, परफॉर्मेंस और दिखावे पर चला जाता है। 10-15 लोग आ रहे हैं अधनंगे कपड़ों में डांस करने, कोई झंडा उठा रहा है, कोई बैनर उठा रहा है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई फूल उछाल रहा है, कोई पता नहीं वह गरीब विचित्रता के मानवता के सबूत पेश किए जाते हैं कि हां हम बहुत पैसे वाले हैं और हम इस खर्च का वहन कर सकते हैं। वह खुद भूल जाते हैं, लड़के और लड़की, वर और वधू पक्ष में दोनों लोग कि वह अपने बेटे-बेटी की शादी करने आए हैं और उनका भविष्य/जीवन जो है वह पूजा-पाठ के सहारे चलेगा, भगवान के सहारे चलेगा, इन इवेंट वालों के सहारे नहीं चलेगा। लेकिन उन दोनों पक्षकारों का पूरा ध्यान जो होता है वह इवेंट की बारीकियों पर होता है कि उसने पैर कैसा रखना है, उसने हाथ कैसे रखना है, उसने कंधे पर क्या करना है, ऐसा किया कि नहीं किया, नहीं किया तो इवेंट वाले का पैसा काट दो

फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स 6-8 कैमरे लगाकर ऐसे-ऐसे एंगल से तस्वीरें खींचते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। सैकड़ों डेटा इकट्ठा होता है जिसे कोई देखने की जहमत तक नहीं उठाता। लेकिन खर्चा लाखों में हो जाता है। बारात प्रोसेशन में 5 से 10 हजार नाच-गाने पर उड़ा देते हैं। इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट होता है। स्टेज पर वरमाला अब फिल्मी स्टाइल में होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर हंसी-मजाक करके वरमाला करवाते थे। आजकल स्टेज पर धुंए की धूनी छोड़ देते हैं। दूल्हा-दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सब को दूर भगा दिया जाता है

और फिल्मी स्टाइल में स्लो मोशन में वह एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, साथ ही नकली आतिशबाजी भी होती है। स्टेज के पास एक स्क्रीन लगा रहता है, उसमें प्री-वेडिंग शूट की वीडियो चलती रहती है।

रिश्तों में आती दूरी : पहले रिश्तेदार शादी में मिलते थे तो घंटों साथ बैठते थे, बातें करते थे। अब अमीरी का दिखावा इतना बढ़ गया है कि सब अपने-अपने कमरे में बंद रहते हैं। मिलना-जुलना सिर्फ औपचारिकता भर रह गया है। एक सामान्य आदमी के लिए भी सोचो। अगर हमें भगवान ने पैसा दे दिया या दौलत और शोहरत दे दी तो उसका इतना दुरुपयोग, दिखावा या प्रदर्शन मत करो कि आपके यहां जो बारात में आया हुआ व्यक्ति है वह अपने आप पर शर्मिंदगी फील करें कि मैं कैसे वहाँ जाऊंगा? लिफाफा दूंगा चले आऊंगा।

आपके लिए इंपॉर्टेंट वह भी है जिसको आपने निमंत्रण दिया है। हो सकता है वह आपके मुकाबले दौलत वाला व्यक्ति नहीं हो लेकिन उसे इतनी आत्मग्लानि फील होती है कि व्यक्ति उक्त शादी में आकर अपने आप को बौना महसूस करता है। वह तो यह जिम्मेदारी मेजबान की है कि जो अपने मेहमानों के अंदर ऐसे इंप्रेशन ना छोड़े कि वह अपने आप के अंदर गिल्ट फील करें।

लिफाफे और गिफ्ट भी अब दिखावे पर आधारित हो गए हैं। लिफाफा और गिफ्ट देने के भी हालत अब यह है कि जिन लोगों को हम सलाम ठोकते हैं उनको तो 11, 21 और 51 हजार या लाखों रुपए की गिफ्ट दी जाएगी, जबकि वह खुद बहुत सक्षम और साधन संपन्न लोग होते हैं और जो लोग हमें सलाम ठोकते हैं, वह हमारे मातहत भी हो सकते हैं और हमसे धन-संपदा में छोटे भी हो सकते हैं, तो उनको उसके लिए 2100 - 5100 का लिफाफा देकर निपटा दिया जाता है, जबकि उसके परिवार को रुपयों की ज्यादा आवश्यकता होती है।

संस्कारों का ह्रास : अक्सर देखता हूँ कि करोड़ों खर्च करने वाले लोग पंडित जी को दक्षिणा देने में एक घंटा बहस करते हैं, और मात्र 5100-11000 रुपये देकर टाल देते हैं। जबकि दूल्हे की साली सिर्फ जूते चोरी के नाम पर हज़ारों रुपये ले लेती हैं। शादी खत्म होते ही उस ब्राह्मण का, जो 12-24 घंटे से सेवा में था, कोई ध्यान भी नहीं रखता। वह दयनीय स्थिति में अपना सामान समेटकर चला जाता है।

यह विरोधाभास दुख देता है: एक मैकेनिक, प्रति विजिट जो बमुश्किल एक घंटे का काम करता है, बिना सवाल किए 500-1000 रुपये ले जाता है, जबकि एक विद्वान ब्राह्मण, जिसने वर्षों पढ़ाई की है, पूरे दिन के काम के बाद भी उचित सम्मान और पारिश्रमिक नहीं पाता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शादी अब आध्यात्मिक अनुष्ठान न होकर मनोरंजन का साधन बन गई है। न मुहूर्त का पालन होता है, न पूजा की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। लोग मंत्रों के बीच हँसी-मजाक करते हैं, जो इस पवित्र परंपरा के प्रति गहरी बेरुखी दर्शाता है। मेरा अपने मध्यमवर्गीय समाज बंधुओं से निवेदन है कि - पैसा आपका है, आपने कमाया है। खुशी का अवसर है, उसे मनाइए लेकिन किसी की देखा-देखी, कर्ज लेकर दिखावा मत कीजिए। 4-5 घंटे के रिसेप्शन में अपनी जीवनभर की पूंजी मत गवा दीजिए। इससे कहीं बेहतर है कि अपने बच्चों को स्थाई संपत्ति, सोना-चांदी दीजिए। साथ ही उनके नाम से कोई दान या सार्वजनिक सेवा कार्य भी करिए ताकि आने वाली पीढ़ी तक यह संदेश पहुंचे कि शादी सिर्फ खर्च और दिखावे की नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी की भी होती है।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी विधानसभा में सीखेंगे राजनीति का गणित

विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की अनूठी पहल

राजेश यादव

जयपुर। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी अब राजस्थान विधानसभा में बैठकर राजनीति और बहस करते हुए दिखाई देंगे। जीवन कौशल विकास हेतु संचालित प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेशभर में राजस्थान युवा सभा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे खुले मंच पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रख सकें, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, विधानसभा जैसी गरिमामयी व्यवस्था में भाग लेकर विद्यार्थी लोकतांत्रिक मूल्यों को समझेंगे और वाद-विवाद व संवाद कौशल में निखार ला सकेंगे।

ब्लॉक और जिले से चयनित होंगे विद्यार्थी :- प्रबल कार्यक्रम की 14 थीम आधारित गतिविधियां अगस्त से सितंबर तक सभी विद्यालयों में संचालित होंगी। विद्यालय स्तर पर मेरिट के आधार पर एक छात्र व एक छात्रा का चयन होगा जो ब्लॉक स्तरीय गतिविधियों में भाग लेंगे। ब्लॉक से चयनित विद्यार्थी जिला स्तर पर पहुंचेंगे और यहां से चयनित विद्यार्थी राज्य स्तरीय मॉक विधानसभा - राजस्थान युवा सभा में हिस्सा लेंगे।

- **प्रबल कार्यक्रम की 14 थीम आधारित गतिविधियां अगस्त से सितंबर तक सभी विद्यालयों में संचालित होंगी, विद्यालय स्तर पर मेरिट के आधार पर एक छात्र व एक छात्रा का चयन होगा जो ब्लॉक स्तरीय गतिविधियों में भाग लेंगे**

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता :- चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन होगा। विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय स्तर पर बजट का प्रावधान भी किया गया है।

मार्गदर्शन व मॉनिटरिंग :- विद्यार्थियों को विषय की समझ और कौशल निर्माण के लिए जिला स्तर पर मेंटर्स ग्रुप बनाया जाएगा। वहीं प्रबल कार्यक्रम प्रभारी की नियुक्ति और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डाइट को सौंपी गई है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में बैठक आयोजित हुई जिसमें अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

डॉ.ओमप्रभा, उपायुक्त, समग्र शिक्षा का कहना है कि राजस्थान युवा सभा एक सोच है, जिससे राजकीय विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास और प्रतियोगिता की भावना जागृत होगी। यह शिक्षा विभाग की एक अग्रिम एवं अनूठी पहल है।

राजेश यादव, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), शिक्षा विभाग।

बाघों के स्वागत को बेताब हैं कालदां के जंगल, घास के मैदान तैयार हुए

बूंदी, (निसं)। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ ही कोर के साथ ही अब बफर जोन के जंगलों में भी बाघों के अनुकूल बनाने के कामों का असर दिखने लगा है। वन विभाग ने दो साल पहले इस क्षेत्र में जुलिफ्लोरा को हटाकर ग्रासलैंड विकसित करने का काम शुरू किया था। वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को कम कर इन्हें वन्यजीवों के लिए अच्छे आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिजर्व में वन्यजीवों से समृद्ध व जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण दुर्गम कालदां वन क्षेत्र में कलदां माताजी के निकट 300 बीघा वन भूमि पर विलायती बम्बूल हटाकर सिल्वी पाश्चर पद्धित से घास के मैदान व प्लांटेशन का काम हाथ में लिया था। दो साल बाद घास के मैदानों में घास तैयार हो गई है तथा शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। शीघ्र ही यहां नए ट्रेकिंग रूट बनाने व अन्य इलाकों में नए ग्रासलैंड विकसित करने की योजना है। वन विभाग की नियमित गश्त व जिला कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण टाइगर रिजर्व क्षेत्र में धारा 163 लगाने से इस वर्ष वन क्षेत्रों में पशुपालकों के प्रवेश व बाड़े बनाने पर रोक लगी है। जिससे यह इलाका बाघों के स्वागत के लिए तैयार होने लगा है। एक महीने पहले शॉफ्ट एनक्लोजर से खुले जंगल में छोड़ी गई युवा बाघिन आरवीटी 8 का रुख कलदां की तरफ है तथा यह कभी भी इन जंगलों में प्रवेश कर सकती है।

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के देवझर महादेव से भीमलत तक के बफर जोन में परम्परागत जलस्त्रोतों पर 12 माह पानी की उपलब्धता मूक प्रणियों के जीवन का आधार बने हुए हैं। करीब तीन सौ वर्ग किलोमीटर के इन दुर्गम पहाड़ी जंगलों में डेढ़ दर्जन से अधिक स्थानों पर भीषण गर्मी में भी कल-कल पानी बहता रहता है। साल भर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जल उपलब्धता के चलते मूक प्रणियों के लिए बूंदी के जंगल सदियों से प्रमुख आश्रय-स्थल बने हुए हैं। इनमें से कई प्राकृतिक जल-स्त्रोत तो पहाड़ी की चोटियों पर है जिनमें भीषण गर्मी में भी जल प्रवाह बना रहता हैं। जल उपलब्धता के कारण जिले में भालू, पेंथर सहित अन्य वन्यजीवों का कुनबा बढ़ा है तथा इलाका फिर से बाघों से आबाद होने लगा है।

जिले के सुदूर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में भी जल उपलब्धता वाले जल स्त्रोतजैव-विविधता के वाहक होने के साथ-साथ वन्यजीवों के प्रमुख आश्रय स्थली भी सिद्ध हुए हैं। इनमें पहाड़ी चोटी पर स्थित कालदां माताजी का स्थान प्रमुख है, जहां भीषण अकाल में भी पानी का एक बड़ा दह भरा रहता है तथा प्राकृतिक रूप से यहां चट्टानों से पानी निकलता है। इसी कारण इसका नाम कालदह पड़ा जो अब कालदां वन खण्ड के रूप में जाना जाता है। इसी पहाड़ी पर उमरथुणा के निकट केकत्या महादेव, सथूर के निकट देवझर महादेव, आम्बा वाला नाला, डाटूंदा के पास दुर्वासा महादेव, पारा का देवनारायण, नारायणपुर के पास धूंधला महादेव, खीण्या-बसोली के पास आम्बारोह, भीमलत महादेव, नीम का खेड़ा के पास झरोली माताजी, खेरूणा के नीलकंठ महादेव आदि स्थान सदाबहार जलयुक्त होने के कारण सदियों से बाघों के पसंदीदा स्थान रहे है। इसी प्रकार भीलवाड़ा जिले के बांका वनखंड के सीता कुंड व भाला कुई जैसे महत्वपूर्ण स्थल ही टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघों के प्रमुख आश्रय स्थल सिद्ध होंगे।

पृथ्वी सिंह राजावत, पूर्व मानद वन्यजीव प्रतिपालक, बूंदी के अनुसार जिले के सुदूर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में भी जल उपलब्धता वाले जल स्त्रोतजैव-विविधता के वाहक होने के साथ-साथ वन्यजीवों के प्रमुख आश्रयस्थली भी सिद्ध हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल ही आने वाले समय में टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघों के प्रमुख आश्रय स्थल सिद्ध होंगे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 22 अगस्त, 2025

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 12:17 तक, वारियान योग दिन 2:35 तक, शकुनि करण दिन 11:56 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:17 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-सिंह राशि में।

आज पितृकार्या अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, जैन वृषमोत्सव, मन्वादि, जीवंतिका पूजन है। आज से शरद ऋतु आरम्भ होगी। आज सयन कन्या से सूर्य रात्रि 2:04 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:41 तक, लाभ-अमृत 7:41 से 10:54 तक, शुभ 12:30 से 2:06 तक, चर 5:18 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:05, सूर्यास्त 6:54

मेष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स